62

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर–भोपाल म.प्र.

PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा/2018/1051 प्र.क्र....................

1. महेश पुत्र स्व. श्री नन्नूलाल
2. जगदीश पुत्र स्व. श्री नन्नूलाल

निवासी : ग्राम देहरीकला, तहसील हुजूर,

जिला भोपाल .... रिवीजनकर्ता

विरूद्ध

म.प्र.शासन,

द्वारा आयुक्त महोदय, भोपाल .... उत्तरदाता

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भूराजस्व संहिता

माननीय अधिनस्थ न्यायालय आयुक्त महोदय भोपाल के प्रकरण क्रमांक 477/अपील/14–15 में पारित आदेश दिनांक 14/11/2017 से व्यथित होकर जानकारी दिनांक से समयअवधि में यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष समय अवधि में प्रस्तुत है:–

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा/18/1051 (मंदेश/2017)

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-3-18	आवेदक अधिवक्ता श्री प्रवीण कोचर द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-11-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि सरजूबाई की भूमि गाईडलाईन से कम मूल्य पर विक्रय की जा रही है जिससे सरजूबाई को आर्थिक हानि होगी तथा सरजूबाई को पटटे की भूमि पर कृषि कार्य कर जीवनयापन हेतु दी गई है। यदि कलेक्टर द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है तो वह भूमिहीन हो जायेगा तथा शासन पटटे पर दिया जाना औचित्यहीन हो जायेगा अत: कलेक्टर द्वारा पटटे की भूमि विक्रय करनेकी अनुमति नहीं देनेमें विधिसंगत कार्यवाही की गई तथा कलेक्टर के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा भी न्यायसंगत कार्यवाही की गई है इसलिये यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	